

प्रेस नोट

दिनांक 04.04.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार.-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-71/24, धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.02.2024 को थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी की उनकी नाबालिग पुत्री कल दिनांक घर से बाहर गयी थी और अभी तक घर वापस नहीं आयी है। वादी की तहरीर पर थाना मनकापुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 अरविन्द कुमार को सुपुर्द की गयी थी। जिसमें आज दिनांक 04.04.2024 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त विशाल झिलाही रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विशाल पुत्र बाबूराम नि0 ग्राम नथुनिया मोड़ मऊ थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-71/24, धारा 363,366 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार।

02. का0 सतीश यादव।

03. म0आ0 लक्ष्मी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04.04.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा लडकी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर
जबरन दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार.—

कार्यवाही:—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-114/24, धारा 376,323,504 भादवि, 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 व 67 आई0टी0एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामू यादव उर्फ प्रिन्स यादव को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 29.03.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी की विपक्षी रामू यादव उर्फ प्रिन्स यादव द्वारा प्रार्थिनी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लगभग 02 वर्षों से जबरन दुराचार करता आ रहा है। वादिनी की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। जिसमें आज दिनांक 04.04.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त रामू यादव उर्फ प्रिन्स यादव को पटपरगंज पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामू यादव उर्फ प्रिन्स कुमार यादव पुत्र अलखराम नि0 ग्राम जैतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-114/24, धारा 376,323,504 भादवि, 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 व 67 आई0टी0एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 जयनाथ यादव।
02. का0 अखिलेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट,
दिनांक 04.04.2024

थाना को0कर्मलगंज पुलिस एवं SOG टीम की संयुक्त कार्यवाही में सर्राफे की दुकान में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण। पुलिस मुठभेड़ में घटना में संलिप्त 01 शातिर लूटेरा घायल/गिरफ्तार समेत कुल 04 शातिर बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे व निशानदेही पर लूट के 220 ग्राम आभूषण (पीली धातु), 22 लाख रुपये नगद, लूट के रूपये से खरीदी गयी SUV कार, नया APPLE मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हेलमेट, 04 अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में थाना को0 कर्मलगंज व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0-97/24, धारा 392 भादवि से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 01 शातिर लूटेरा राजा पाण्डेय उर्फ राघवेन्द्र पुलिस मुठभेड़ में घायल व अन्य 03 अभियुक्तों 01. सत्येन्द्र पाण्डेय उर्फ उदय पाण्डेय, 02. सूरज पाण्डेय व 03. फरहान अंसारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 220 ग्राम आभूषण (पीली धातु), 22 लाख रुपये नगद, लूट के पैसों से खरीदी गई SUV कार व APPLE मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 02 अदद हेलमेट, कपड़े व 04 अदद अवैध तमंचा मय 05 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस व वादी का आधार कार्ड, पासबुक, चाभी का गुच्छा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री विश्वनाथ शाह पुत्र श्री हरिद्वार शाह निवासी गांधीनगर थाना कर्मलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 05.03.2024 को थाना को0 कर्मलगंज को लिखित सूचना दी कि दिनांक 04.03.2024 को रात्रि लगभग 10:00 बजे अपनी दुकान में हिसाब कर रहे थे तभी अचानक हेलमेट लगाकर 02 अज्ञात बदमाश घुसकर मेरे एजेंट जितेंद्र कुमार पाठक के कान पर तमंचा सटाकर दुकान से 10 किलो चांदी, 600 ग्राम सोना, व 1,80,000/- नगदी रुपए डरा धमका कर लूट ले गए। उक्त सूचना पर तत्काल थाना कर्मलगंज व अन्य उच्चाधिकारीगण द्वारा स्वाट/सर्विलांस, डाग स्क्वायड, फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल निरीक्षण किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा एसओजी/सर्विलांस टीम सहित 05 टीमों का गठन किया गया। घटना के सफल अनावरण के क्रम में सी0सी0टी0वी0 फुटेज, अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नरायणपुर माझा कर्मलगंज क्रासिंग के पास संदिग्ध आरोपियों को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी 01. राघवेन्द्र उर्फ राजा पाण्डेय घायल/गिरफ्तार समेत कुल 04 नफर अभियुक्तों 02. सत्येन्द्र पाण्डेय उर्फ उदय पाण्डेय, 03. सूरज पाण्डेय व 04. फरहान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजा पाण्डेय को प्राथमिक उपचार हेतु सी0एच0सी0 कर्मलगंज अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 220 ग्राम आभूषण (पीली धातु), 22 लाख रुपये नगद, लूट के पैसों से खरीदी गई SUV कार व APPLE मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 02 अदद हेलमेट, कपड़े व 04 अदद अवैध तमंचा मय 05 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस व वादी का आधार कार्ड, पासबुक व चाभी का गुच्छा बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजा पाण्डेय वादी श्री विश्वनाथ शाह पुत्र श्री हरिद्वार शाह के सर्राफे की दुकान पर पूर्व में कई दिनों तक काम किया था वहाँ के दिनचर्या से भलिभाँति परिचित था। षडयन्त्र के तहत राघवेन्द्र उर्फ राजा पाण्डेय अपने भाई सत्येन्द्र उर्फ उदय पाण्डेय के साथ पहले ठेले से 02 हेलमेट, जाकेट, लोवर व मंकी कैप खरीदे व अभियुक्त फरहान अंसारी से तमंचे खरीदे। अभियुक्त राजा पाण्डेय वादी की दुकान में काम करने कारण आने जाने

वाली गलियों/मुहल्लो से काफी परिचित था तथा दिनांक 04.03.2024 को सोमवार के दिन बाजार बन्दी होने के कारण सूनसान था जिसका लाभ उठाकर राघवेन्द्र उर्फ राजा पाण्डेय द्वारा अपने भाई के साथ सराफे की दुकान में लूट की घटना कारित की गयी थी तथा लूटे गये आभूषणो को लखनऊ के अमीनाबाग में बतासे वाली गली में ज्वेलर्स की दुकान पर बेचकर प्राप्त रूपयों से लखनऊ में एप्पल मोबाइल व लखनऊ कार बाजार से पुरानी SUV कार राघवेन्द्र उर्फ राजा पाण्डेय के नाम पर खरीदी गयी।

नोट:- घटना के सफल अनावरण व लूट का माल बरामद करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000/- रूपये के नगद परस्कार से परस्कृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. राघवेन्द्र पाण्डेय उर्फ राजा पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी शाहपुर बाजार, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. सत्येन्द्र पाण्डेय उर्फ उदय पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी शाहपुर बाजार, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. सूरज पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी शाहपुर बाजार, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. फरहान अंसारी पुत्र इदरीश अंसारी निवासी आवास विकास कालोनी, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-97/24, धारा 392 भादवि थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0142/24, धारा 307 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 220 ग्राम आभूषण (पीली धातु)
02. 22 लाख रूपये नगद (लूट के आभूषण को बेचकर प्राप्त) बरामद
02. SUV कार UP32GW0077 (लूट के पैसों से खरीदी गयी) कीमत 08.50 लाख रूपये।
03. APPLE मोबाइल (लूट के पैसों से खरीदी गयी) कीमत 1.5 लाख रूपये।
04. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रंग काला बरामद।
05. घटना में प्रयुक्त 02 अदद हेलमेट, कपड़े, बैग बरामद।
06. 04 अदद अवैध तमंचा मय 05 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद।
05. वादी का बैग, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चाभी का गुच्छा बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक निर्भय नरायण सिंह मय टीम थाना को0 करनैलगंज गोण्डा।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 उ0नि0 सर्वजीत गुप्ता ।
03. प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 सुनील सिंह
04. हे0का0 अमित पाठक सर्विला
05. हे0का0 अरूण कुमार
06. हे0का0 हृदय नरायण दिक्षित
07. हे0का0 रविकुमार
08. हे0का0 रणधीर सिंह
09. हे0का0 राजू सिंह

10. का0 अंशुमान पाण्डेय

अपराधिक इतिहास

01. अपराधिक इतिहास राघवेन्द्र पाण्डेय उर्फ राजा पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय

01. मु0अ0स0 237/19 धारा 379, 411 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
02. मु0अ0स0 272/20 धारा 364ए, 120बी, 216 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
03. मु0अ0स0 273/20 धारा 307, 34 भादवि व 3/5/25/27 आर्मस एक्ट थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।

02. अपराधिक इतिहास सत्येन्द्र पाण्डेय उर्फ उदय पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय

01. मु0अ0स0 237/19 धारा 379, 411 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
02. मु0अ0स0 272/20 धारा 364ए, 120बी, 216 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
03. मु0अ0स0 273/20 धारा 307, 34 भादवि व 3/5/25/27 आर्मस एक्ट थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।

03. अपराधिक इतिहास सूरज पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय

01. मु0अ0स0 237/19 धारा 379, 411 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
02. मु0अ0स0 272/20 धारा 364ए, 120बी, 216 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
03. मु0अ0स0 273/20 धारा 307, 34 भादवि व 3/5/25/27 आर्मस एक्ट थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।

04. अपराधिक इतिहास फरहान अंसारी पुत्र इंदरीश अंसारी

01. मु0अ0स0 154/17 धारा 354घ, 504,506 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. मु0अ0स0 937/19 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
03. मु0अ0स0 945/19 धारा 147, 148, 149, 307, 427, 504 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
04. मु0अ0स0 639/19 धारा 147, 323, 342, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
05. मु0अ0स0 222/20 धारा 327, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
06. मु0अ0स0 553/20 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
07. मु0अ0स0 405/20 धारा 323, 327. 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
08. मु0अ0स0 539/20 धारा 323, 327, 504, 506 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
09. मु0अ0स0 586/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।